कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर– 58/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–14 (गा0बाद)/74 दिनांकः फरवरी 23 2015,

सेवा मे,

वास्तुविद नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स एस0जी0 एस्टेट लि0 द्वारा खसरा न0–145, एवं 199, ग्राम मोरटी जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के टावर "एफ0, एवं ईडब्लूएस/एलआईजी" शमन हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडीः 2015/6518/जीजैडबी/गाजियाबाद/367/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन के शमन हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्याः आर–38/एफएसके–2014 दिनांकः 12–02–2015 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 14–02–2015 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–24,210.76 वर्ग मी0 है।
2–नेट प्लाट एरिया–19,194.102 वर्ग मी0।
3–कुल भूतल कवर्ड एरिया–6954.121 वर्ग मी0।
4–प्रस्तावित कॉन्वीनीएन्ट शॉप कवर्ड एरिया–194.975 वर्ग मी0।
5–अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–13,982.707 वर्ग मी0।
6–लोअर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–13,982.707 वर्ग मी0। प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र समांक पत्र दिनांकः 09–08–2014 के माध्यम से निर्गत की गयी है जिसमे टावर वर्तमान मे शमन हेतु टावर एफ एवं एलआईजी/ईडब्लूएस का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क्रमांक	नाम ब्लाक एवं तल	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयरकेस की संख्या एवं चौडाई मी0।	भवन की ऊचॉई मी0।
1	टावर–एफ0, 02 बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 16 तल	595.995	7270.990	02 अदद 1.50/1.50	59.30
2	टावर–ईडब्लूएस/एलआईजी0, 02 बेस0, एवं भूतल (पूर्व स्वीकृत), प्रथम तल से 19 तल तक प्रस्तावित	405.759	2756.607 4859.018	02 अदद 1.50/1.50	58.15
3	कॉन्वीनीएन्ट शॉप, टावर ईडब्लूएस/एलआईजी के भूतल पर प्रस्तावित	194.975	–	–	–

भवन का अधिभोग विवरणः–प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 की ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। दोनो बेसमेन्ट/स्टिल्ट का प्रयोग पार्किंग हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कॉन्वीनीएन्ट शॉप के रूप मे मर्केन्टाईल भी प्रस्तावित है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुॅच मार्गः– टावर ईडब्लूएस/एलआईजी के सामने मानचित्रों मे 24 मी0 चौडा रोड व अन्य टावर–एबी,सीडीई एवं एफ के सामने 05 मी0 चौडा एग्जिस्ट रोड एवं 12 मी0 चौडा रोड प्रस्तावित इस प्रकार कुल 17 मी0 चौडा रोड प्रदर्शित है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौडाई–12.045 मी0 बनाया जाना है।

3–सैटबेकः– टावर एबी,सीडीई एवं टावर एफ के चारो ओर 15.00 मी0 सैटबेक प्रदर्शित है।

तथा ईडब्लूएस/एलआईजी व कॉन्वीनीएन्ट शॉप के सैटबेकः–

ए0–अग्रभाग–1200 मी0। बी0–पृष्ठ भाग–11.50 मी0। सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0। डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0।

उपरोक्तानुसार टावर कॉन्वीनीएन्ट शॉप/ईडब्लूएस/एलआईजी की ऊचॉई–58.15 के सापेक्ष वांछित 15.00 मी0 सैटबेक के सम्बन्ध मे निर्णय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। सभी टावरों के चारो ओर 6.0 मी0 मोटरेबुल मार्ग उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सैटबेक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा। जिनको सदैव अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा।

फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन मे उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जाये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर न्यूनतम 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु बालकानी का प्राविधान किया गया है जो एन0बीसी0 मानक के अनुसार रिफ्यूज एरिया हेतु अनुमन्य है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 एवंत त सम्बन्धी बी0आई0एस0 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प पर्याप्त हैड मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है तथा भूमिगत टैंक बी0आई0एस0–3844 के अनुसार वॉच्छनीय है जिसमे प्रवेश हेतु अलग से स्टेयर निर्मित कराया जायें।

3–टेरिस टैंकः–प्रस्तावित भवन की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट हेतु डक्टिड स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

13–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस0जी0 एस्टेट लि0 द्वारा खसरा न0–145, एवं 199, ग्राम मोरटी जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु शमनीय प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र 06 अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स एस0जी0 एस्टेट लि0 द्वारा खसरा न0–145, एवं 199, ग्राम मोरटी जनपद गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।